उत्तरांचल शासन

वित्त मंत्री

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'

द्वारा प्रस्तुत

उत्तरांचल राज्य का प्रथम

बजट भाषण

(वित्तीय वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमान)

मा. अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से वर्ष 2001–2002 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

देवतात्मा हिमालय की गोद में बसे 'देवभूमि उत्तरांचल' जो एक लम्बे संघर्ष के बाद राज्य के स्वरुप में आया उसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है; जहां बद्री–केदार, गंगोत्री–यमनोत्री तथा हरिद्वार जैसे विश्व विख्यात धार्मिक स्थल हैं, वहां दुनिया की अद्भुत फूलों की घाटी, तमाम ताल, बुग्याल तथा ग्लेशियरों से युक्त ऊंची–नीची पहाड़ियों की दृष्टावली भी अनुपम छटा विखेरती है।

उत्तरांचल की इस पुण्य भूमि को जहां प्रकृति की विशेष देन है वहीं पेशावर काण्ड के महान नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे वीर सपूतों और लीलू रौतेली जैसी वीरांगनाओं ने भी इसी की कोख से जन्म लिया। राष्ट्र–सेवा में ये क्षेत्र हमेशा से प्रथम पंक्ति में खड़ा रहा है, आज भी औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति रक्षा सेनाओं में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर सीना ताने खड़ा है।

1962 का भारत–चीन युद्ध हो या फिर 1965 का युद्ध। 1971 का भारत–पाक युद्ध हो अथवा कारगिल का युद्ध। उत्तरांचल के सपूतों ने राष्ट्रहित में अपने प्राणों का बलिदान देकर एक गौरवशाली इतिहास रचा है।

मान्यवर,

जहां प्रत्येक विशेषताओं से यह क्षेत्र परिपूर्ण है वहीं विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका फलस्वरुप पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग ने जोर पकड़ा और देवभूमि कहे जाने वाले इस नवोदित राज्य ने जन्म लिया।

अध्यक्ष महोदय,

मैं नहीं समझता कि उत्तरांचल राज्य का निर्माण केवल राजनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हुआ है, अपितु इसके पीछे यहां का समग्र विकास तथा देश की एकता–अखण्डता को अक्षुण बनाये रखने की अवधारणा है।

हिमालय को भारत का भाल कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तरांचल दो–दो विदेशी सीमाओं से घिरा संवेदनशील प्रदेश है। सचमुच में भारत का माथा ही है।

माथा सशक्त होना चाहिए तभी शेष शरीर का आस्तित्व भी सुरक्षित रह सकता है।

उत्तरांचल के शहीदों को नमन् करते हुए उनके महान बलिदान एवं उत्तरांचल की जनता के दृढ़ संकल्प से 9 नवम्बर, 2000 को जन्मे उत्तरांचल राज्य के प्रथम आय–व्ययक को सदन में प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आय–व्ययक से उस देश या प्रदेश की दशा या दिशा दोनों की अभिव्यक्ति होती है अतः इस नवसृजित राज्य को विरासत में मिले भारी वित्तीय भार के बावजूद राज्य के परिवेश तथा जनाकांक्षाओं के अनुसार प्रदेश में ऊर्जा, जलापूर्ति, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क तथा सेतु, पर्यटन, स्वरोजगार, औद्यानिकी विकास, ग्राम्य विकास, पशुपालन, उद्योग, वन, कल्याणकारी योजनाओं आदि हेतु इस आय–व्ययक के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्धारित की जा रही है जिससे कि भविष्य में उत्तरांचल राज्य का यह प्रथम आय–व्ययक मील का पत्थर साबित हो सके, एवं नैसर्गिक सौन्दर्य एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह प्रदेश देश का सबसे सुन्दरतम एवं समृद्धतम प्रदेश साबित हो सके।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 39 के प्राविधान के अंतर्गत महामहिम श्री राज्यपाल से 8 मई, 2001 तक के अनुमानित व्यय रुपया 814.7767 करोड़ के व्यय हेतु प्राधिकार प्राप्त किया गया है। 8 मई, 2001 तक बजट के पारित न हो सकने की स्थिति में 1 अप्रैल, 2001 से तीन माह का लेखानुदान भी साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें पूर्व में श्री राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत 814.7767 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय स्थिति:–

मान्यवर,

90 के दशक में राज्यों तथा केंद्र सरकार के लोक वित्त में गम्भीर बजटीय असंतुलन परिलक्षित हुआ। इसे देखते हुए ग्यारहवें वित्त आयोग से यह अपेक्षा की गई कि **'यह आयोग केंद्र और राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा ऐसे उपाय सुझायेगा जिनके जरिए सरकारें सामूहिक रुप और अलग–अलग लोक वित्त साधनों की पुर्न संरचना कर सकें ताकि बजटीय संतुलन पुनः स्थापित किया जा सके और वृहद आर्थिक स्थिरता बनाई रखी जा सके।'**

ग्यारहवे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रुप से कहा है कि "ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन करते समय, देश के सभी राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों तथा अन्य, दोनों का राजस्व घाटा तथा साथ ही राजकोषीय घाटा बहुत अधिक हो गया था और उनमें सुधार का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। राजस्व वृद्धि की दर काफी धीमी हो गई थी और व्यय की वृद्धि दर खराब अवस्था की ओर थी और ऋण, वेतन भुगतान तथा ब्याज संदाय व्यय के सबसे बड़े मद हो गये थे।"

पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश सरकार भी अत्यधिक विषम वित्तीय स्थिति का सामना कर रही थी और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की गम्भीर वित्तीय स्थिति का सीधा प्रभाव उत्तरांचल को विरासत के रुप में प्राप्त हुआ है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तरांचल राज्य भी गम्भीर वित्तीय असंतुलन की स्थिति से गुजर रहा है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से बटवारे के बाद केंद्र सरकार के ऋणों का अनन्तिम रुप से सूचित लगभग 1605 करोड़ रुपया उत्तरांचल राज्य के हिस्से में आया है। राष्ट्रीय बचत ऋण लगभग 288 करोड़ रुपये तथा बाजार ऋण का 697 करोड़ रुपया भी उत्तरांचल

राज्य के हिस्से में आये हैं। "नाबार्ड, एल.आई.सी. आदि" ऋणों का हिस्सा भी अभी उत्तरांचल के हिस्से में आना है। यद्यपि आस्तियों और दायित्वों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ है, जो कि उत्तरांचल हिस्से में लगभग पांच प्रतिशत ही है, परन्तु राज्य कर्मचारियों का प्रतिशत आस्तियों/ दायित्वों की तुलना में अधिक है। कम जनसंख्या घनत्व तथा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, इत्यादि मूल–भूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कारण राज्य कर्मचारियों का प्रतिशत उत्तरांचल में अधिक है।

इस प्रकार उत्तरांचल राज्य को वर्ष 2001–2002 में ऋणों के प्रतिदान पर लगभग 250.96 करोड़ तथा ऋणों पर ब्याज के अदायगी के रुप में लगभग 530.68 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर लगभग 1200 करोड़ रुपये, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/ कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रुप में लगभग 350 करोड़ रुपये, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रुप में लगभग 200 करोड़ रुपये बचनबद्ध व्यय के रुप में वहन करने हैं जब कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व मात्र

799.78 करोड़ रुपये अनुमानित है व करेत्तर राजस्व मात्र 192.88 करोड़ रुपये अनुमानित है।

मान्यवर,

11वें वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियों में राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए आयोजना–भिन्न राजस्व अनुदान की भी संस्तुति की थी और 2000–2005 की अवधि हेतु पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के लिए केवल 1026.74 करोड़ रुपये रखे गये थे। तथा आयोजना–भिन्न राजस्व घाटे के लिए सहायता अनुदान अधिकांशतः विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राप्त हुआ है। जम्मू और कश्मीर के लिए 11211.19 करोड़, हिमांचल प्रदेश के लिए 4549.26 करोड़, मणिपुर के लिए 1744.94 करोड़, मेघालय के लिए 1572.38 करोड़, मिजोरम के लिए 1676.30 करोड़, तथा नागालैण्ड के लिए 3536.24 करोड़ रुपये आदि के अनुदान की संस्तुति ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी थी।

उत्तरांचल राज्य की स्थापना के उपरान्त नये राज्य में विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं तथा कार्यालयों यथा– विधान मण्डल, श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद व सचिवालय, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग इत्यादि का गठन किया गया

है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों व शीर्षस्थ संस्थाओं की स्थापना भी की गई है। इन संस्थाओं के सृजन में राज्य सरकार के ऊपर बृहद् आवर्तक एवं अनावर्तक वित्तीय भार पड़ा है जो कि नये राज्य के लिए एक बचनबद्ध व्यय है। नये राज्य के गठन के उपरांत राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से इन संस्थाओं को स्थापित कर राज्य प्रशासन को क्रियाशील करने के गुरुत्तर दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, परन्तु बिना विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिले और बिना केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति किये राज्य में विकास कार्यक्रमों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना अत्यनत कठिन होगा। हमारी सरकार द्वारा उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिए जाने व राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर अनुरोध किया गया है और हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार द्वारा हमारी समस्याओं का शीघ्राति–शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

मान्यवर,

मैंने ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख इस आशय से किया है कि नवगठित राज्य की वित्तीय

समस्यायें और चुनौतियाँ अत्यन्त गम्भीर हैं। हमारे आय के स्रोत और व्यय के विवरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आय में वृद्धि करने के लिए हमें सतत् प्रयास करने होंगे और राज्य के कर तथा करेत्तर राजस्व को बढ़ाकर घाटे में कमी करनी होगी। क्योंकि बचनबद्ध व्यय के उच्च स्तर के कारण व्यय पक्ष में बहुत अधिक कमी करना संभव नहीं होगा अतः राज्य सरकार को अपने कर राजस्व का सघन अनुश्रवण करना होगा, करवंचना को रोकने के लिए व्यापक प्रयास करने होंगे और अपने कर आधार को बढ़ाना होगा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि में प्रयोक्ता प्रभारों का भी युक्तिकरण करना होगा। इन सभी दिशाओं मे सतत् एवं कठोर अनुशासन से कार्य करते हुए ही हम भविष्य में संतुलित राजकोषीय व्यवस्था स्थापित करते हुए विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

अवस्थापना सुविधाएँ:-

मान्यवर,

उत्तरांचल प्रदेश की ऊँची–नीची भौगोलिक स्थिति, हिमालय व शिवालिक की ऊँची–नीची पर्वत श्रृंखलाएं, परिर्वतनशील जलवायु, क्षीण मृदा स्वरुप उत्तरांचल क्षेत्र के

विकास की मुख्य चुनौतियां हैं। सीमित जोत भूमि, लघु एवं सीमान्त जोतों का बाहुल्य अवस्थापना एवं अन्य सुविधाओं की कमी, परियोजनाओं को पूर्ण होने में लगने वाली लम्बी अवधि, अवस्थापना विकास की अधिक लागत इत्यादि ऐसे विशेष कारण हैं जो विकास की गति को गम्भीर रुप से प्रभावित करते हैं। प्रदेश भूकम्प क्षेत्र में होने के कारण, ग्लेशियर व अत्यधिक वर्षा से भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग, पेयजल योजनाएं नहरें, विद्युत व टेलीफोन लाईनों इत्यादि को गम्भीर क्षति पहुंचती है और जन–धन की भी हानि होती है। वृक्षों के कटान, भूस्खलन, बढ़ती आबादी का दबाव आदि कारणों से भी जलों के श्रोत सूख रहे हैं और पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। यह सर्वविदित है कि अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं सृजित क्षमताओं का समुचित रख–रखाव विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। राजकोषीय असंतुलन के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं जहॉ पर सृजित क्षमताओं के रख–रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है और इन सृजित क्षमताओं का लाभ अर्थ–व्यवस्था को नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में परियोजनाएं अधूरी हैं जिन्हें पूर्ण

करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है किन्तु महत्वपूर्ण अधूरी योजनाओं को पूर्ण किया जाना, सृजित क्षमताओं का समुचित रख–रखाव हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है।

अवस्थापना सुविधाओं के समेकित एवं सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में अवस्थापना विकास का समावेश किया गया है। अवस्थापना विकास एवं वित्त पोषण से सम्बन्धित राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था आई.डी.एफ.सी. के साथ विस्तृत चर्चायें की जा चुकी है और उनके साथ शीघ्र ही समझौता ज्ञापन एवं अन्य संस्थागत व्यवस्थायें किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य राज्य की अवस्थापना आवश्यकताओं का विस्तृत चिन्हीकरण कर अवस्थापना परियोजनायें तैयार करना तथा अधिक से अधिक वाह्य विशेषज्ञता, निजी क्षेत्र निवेश एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्त पोषण प्राप्त किया जा सके।

ऊर्जा क्षेत्रः–

अवस्थापना सुविधाओं में पहला स्थान ऊर्जा क्षेत्र का है और अबाध तथा निरंतर ऊर्जा की उपलब्धता औद्योगिक

विकास, कृषि, पेयजल आदि के विकास के लिए आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन की हमारे प्रदेश में बृहद संभावनायें है बल्कि यह ऊर्जा प्रदेश बनने की क्षमता भी रखता है। ऊर्जा उत्पादन इकाईयों के निर्माण में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। उत्तरांचल क्षेत्र में मनेरीभाली, लखवाड़ व्यासी जैसी कई परियोजनायें धनाभाव के कारण अनेक वर्षों से अभी अधूरी पड़ी हैं।

हमारी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विद्युत क्षमता का अपना ही एक विशेष एवं अति महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी प्रदेश में उपलब्ध लगभग 15000 मेगावाट क्षमता के सापेक्ष मात्र लगभग 1000 मेगावाट क्षमता की योजनायें ही स्थापित हो सकी हैं। इन इकाइयों द्वारा भी क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है, इन परिस्थितियों में सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान इकाइयों का उत्पादन बढ़ाने तथा नयी इकाइयों की समय–बद्ध आधार पर स्थापना हेतु कटिबद्ध हैं और इस दिशा में विशेष प्रयास किये जायेंगे।

गत लगभग 10 वर्षों से बंद पड़ी परियोजनाओं, मनेरी भाली द्वितीय चरण एवं लखवाड़ व्यासी पर बहुत जल्द कार्य

पुनः प्रारम्भ कराने की दिशा में कार्यवाही हो रही है। इसी प्रकार कई वर्षों से अनेक चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर लम्बित कार्यवाही को शीघ्रता के साथ पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

इस बीच राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल विद्युत निगम (जो पारेषण एवं वितरण से संबंधित होगा), तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम, की स्थापना की जा चुकी है। सरकार द्वारा इनके अध्यक्ष एवं निदेशकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूरी की जा रही है। पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित उत्तरांचल में आस्तियों का हस्तान्तरण उत्तरांचल विद्युत निगम के पक्ष में हो चुका है। जल विद्युत सम्बन्धित आस्तियों का प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नियंत्रण भी राज्य सरकार ने अपने हाथों में लिया है। आशा है कि इनके पूर्ण हस्तान्तरण की कार्यवाही भी यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी लेकिन यह देखते हुए नयी योजनाओं एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना में काफी संसाधन एवं समय की आवश्यकता होगी अतः कुछ समय तक और हमारी जनता को धैर्य भी रखना होगा।

विद्युत उत्पादन में प्रगति लाने हेतु जल विद्युत निगम को 35 करोड़ रुपये तथा पारेषण एवं वितरण कार्यों में प्रगति लाने हेतु 65 करोड़ रुपये की ऋण तथा अंशपूंजी की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार की ए.पी.डी.पी. योजना का लाभ उठाकर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में सुधार लाया जायेगा।

वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना के अन्तर्गत 15.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि कार्यों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी आवश्यक व्यवस्था है।

सड़क तथा सेतुः—

किसी भी राज्य या राष्ट्र में मार्गों एवं सेतुओं के रुप में सुदृढ़ संचार व्यवस्था पूरी आर्थिक व्यवस्था की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में फैली हुई आबादी को देखते हुये, हमारे लिए इस प्रकार की व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। उत्तरांचल क्षेत्र में सड़कों का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर में रक्तवाहनियों का महत्व

है। सड़क एवं सेतु के अवरुद्ध हो जाने से क्षेत्र के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाना संभव नहीं होता है और कृषकों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि पूरा जन–जीवन प्रभावित हो जाता है। पिछले वर्षों में मार्गों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काफी धनराशि विशेष रुप से उत्तरांचल उप योजना से उपलब्ध कराई गई थी, किन्तु इस संबंध में बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में सड़क एवं सेतु की मद में लगभग 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रयास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत लगभग रुपये 60 करोड़ की व्यवस्था कराई गयी है। इसके साथ–साथ कतिपय महत्वपूर्ण राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित किया है जिसके लिए भी केंद्र सरकार से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

वर्ष 2001–2002 में सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए लगभग 42.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पुलों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी 14.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था हैं।

विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा देहरादून रिंग रोड, चमोली एवं गोपेश्वर लिंक रोड, श्रीनगर-पौड़ी सड़क चौड़ी करने के कार्यों हेतु 18.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्य सेक्टर के अधीन चालू निर्माण कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपये तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत 23 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

इस वर्ष इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में दो नयी योजनायें भी सम्मिलित की गयी हैं। वर्षों से भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त होते रहे महत्वपूर्ण मार्गों पर सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का कार्य कराया जाने के लिए 4 करोड़ रुपये तथा कुछ प्रमुख मार्गों पर क्रोनिक आधार पर भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी उपचार के कार्य कराने के लिए भी 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ताकि वर्षानुवर्ष यातायात अवरुद्ध होने व मरम्मत पर खर्चों से बचा जा सके।

यहाँ हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि वर्षों से चालू व अपूर्ण कार्यों को समय बद्ध आधार पर पूर्ण किया जा सके व नये कार्य, जन प्रतिनिधियों के परामर्श से, एक निश्चित मास्टर प्लान एवं प्राथमिकीकरण के क्रम में इस प्रकार लिये जाये कि उन्हें भी 2 या 3 वर्ष के अन्दर पूर्ण

किया जा सके। इस संबंध में भी उचित नीति का निर्धारण किया जा रहा है।

आवासीय व अनावासीय भवन:–

लोक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत न्यायालयों के भवन निर्माण, तहसीलों के आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण, कारागार, चिकित्सालय, कोषागार इत्यादि के भवनों के निर्माण के लिए लगभग 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें विशेष रुप से अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

उत्तरांचल के एक बड़े क्षेत्र में राजस्व पुलिस की व्यवस्था है जिसका और सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा राजस्व अधिनियमों का भी सरलीकरण किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों को पुलिस के भी अधिकार प्राप्त होने के कारण यह प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पटवारी चौकियों के निर्माण के लिए 2001–2002 के आय–व्ययक में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पुलिस विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भी 10 करोड़ रुपये तथा पुलिस बल के

आधुनिकीकरण हेतु भी 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सिंचाई:–

उत्तरांचल राज्य में सिंचाई की पूरी व्यवस्था पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की सिंचाई व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है अतः सरकार द्वारा यहां की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुये सिंचाई विभाग के संगठनात्मक ढांचे, विभागीय क्रियाकलापों, योजनाओं की संरचना एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के चिन्हीकरण के संदर्भ में गहन परीक्षण किया जा रहा है ताकि बिना किसी दोहरेपन के जनहित में संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो सके। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा एवं भूस्खलन आदि से नहरों एवं गूलों के क्षतिग्रस्त होने की विशेष समस्या रहती है, अतः बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। उत्तरांचल क्षेत्र के कतिपय जनपदों यथा ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार की बाढ़ योजनाओं का कार्य अभी तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन था। विशेष प्रयास करके इसे उत्तरांचल सरकार के नियंत्रण में लाया गया है ताकि वर्षा ऋतु से

जिससे इन क्षेत्रों में आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्य संपादित कराये जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में मध्यम सिंचाई की नहरों के अनुरक्षण के लिये लगभग 6.50 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई की योजनाओं के लिये 6.30 करोड़ रुपये, लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिये लगभग 7.5 करोड रुपये तथा नलकूपों के अनुरक्षण के लिये 6.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

निर्माणाधीन सिंचाई नहरों के निर्माण हेतु 18.29 करोड़ रुपये व नई योजनाओं के लिए भी 4.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नलकूपों के निर्माण के लिये भी 4.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था हैं। बाढ़ नियंत्रण, जल निकास व नदी में कटाव निरोधक योजनाओं के लिए भी लगभग 3.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष विशेष प्रयास कर नैनीताल से निकलने वाले बलिया नाले में सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गयी है।

सूचना प्रौद्योगिकी:-

वर्तमान परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता एवं महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। उत्तरांचल में उचित तापमान व शिक्षा के उच्च स्तर व प्रदूषण रहित वातावरण होने के कारण इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से जहां एक ओर शासन के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं सामान्यजन तक त्वरित गति से सूचनाओं, निर्णयों एवं नीतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं पर प्रदेश में रोजगार सृजन में भी आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं है।

वृहद् संभावनाओं से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र उत्तरांचल शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। उत्तरांचल की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रारुप तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भावी रणनीति एवं कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, सेवाओं एवं उद्योगों का विकास, ई–गवर्नेन्स, ई–टूरिज्म, आदि को चिन्हित किया गया है। इस हेतु सचिवालय स्तर पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र (एन.आई.सी.) की राज्य स्तरीय इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क की स्थापना हेतु भी कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। उत्तरांचल के सभी 13 जिलों के लिए वैब–साइट का प्रारंभिक खाका तैयार किया गया है।

उत्तरांचल के सभी विकास खण्डों तथा जिला मुख्यालयों को राजधानी से नैटवर्क के माध्यम से विकास द्वारा ई–गवर्नेन्स की अवधारणा को स्वरुप प्रदान किया जा सकेगा। प्रत्येक विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आधारभूत एवं कार्यकारी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वृहद पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2001–2002 में पूंजीगत पक्ष में 3 करोड़ रुपये व विभिन्न

विभागों के अनुदानों में कम्प्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर आदि के क्रय के लिए 7.86 करोड़ की व्यवस्था करायी गयी है।

इस वर्ष इन दिशाओं में कार्य करने से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए आधारभूत ढॉचा तैयार किया जा सकेगा।

जलापूर्ति तथा जलोत्सारण:–

जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उत्तरांचल में 31008 बस्तियॉ हैं जिनमें से 29558 बस्तियों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है तथा 265 बस्तियॉ असेवित एवं 1185 बस्तियॉ आंशिक सेवित श्रेणी की अवशेष है। असेवित श्रेणी की ऐसी समस्त बस्तियों में जहॉ गुरुत्व द्वारा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है को प्रथम प्राथमिकता दी गयी है। इसके साथ आंशिक सेवित बस्तियों से भी मानक के अनुरुप पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तरांचल के पर्वतीय भाग में भी हैण्डपम्प निर्माण की सफलता को देखते हुये विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प

निर्माण को भी चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्राथमिकता दी गयी है।

जनपद देहरादून में पेयजल की विकट समस्या के निदान के लिये बीजापुर नहर से 12 एम.एल.डी. पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु रु. 5.00 करोड़ की व्यवस्था इस वर्ष प्रस्तावित की गयी है। इस योजना से प्रभावित सिंचाई क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूपों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से निर्मित एवं रखरखाव की जा रही योजनाओं के पुनर्गठन, जीर्णोद्धार तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

स्वजल परियोजना के अन्तर्गत उत्तरांचल के लगभग 500 से अधिक ग्रामों को चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जायेगा।

इस वर्ष पहली बार राज्य सेक्टर के अन्तर्गत भी 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए की जा रही है। पेयजल परियोजनाओं की संरचना तथा

बाहरी एजेंसी से उनकी गुणवत्ता के परीक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु भी पहली बार 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में शहरी जलापूर्ति कार्यक्रमों एवम् बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत लगभग 64 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सुदूरवर्ती जनजाति क्षेत्रों में जलापूर्ति जनजाति उप योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

इस वित्तीय वर्ष में अल्मोड़ा नगर की जलोत्सारण योजना, के प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके साथ ही अन्य नगरों में निर्माणाधीन जलोत्सारण योजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जायेगा।

पर्यटनः–

उत्तरांचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं एवं प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था में इसके अति महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत पर्यटन नीति की घोषणा की जा चुकी है। इसमें पर्यटन की विभिन्न विधाओं

एवं प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये प्रत्येक के लिये कार्य योजना इंगित की गयी है। इस कार्य योजना का समेकित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, तथा इसमें अधिकाधिक विशेषज्ञ एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशासनिक ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। उत्तरांचल देश का अग्रणी राज्य होगा जहाँ अधिनियम बना कर एक उच्च स्तरीय पर्यटन विकास परिषद की स्थापना की जायेगी। जो उत्तरांचल में पर्यटन विकास की नीति निर्धारित करने तथा पर्यटन संबंधी योजनाओं की रुप–रेखा निर्माण करने के साथ–साथ कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण भी करेगी। यह परिषद पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भी मार्ग दर्शन प्रदान करेगी तथा पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी विनिवेश में वृद्धि का प्रयास करेगी।

उत्तरांचल में पर्यटन के अन्तर्गत तीर्थाटन का विशेष महत्व है, इसका समुचित विकास किया जायेगा, विशेष कर बद्रीनाथ–केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश–हरिद्वार, नन्दादेवी राजजात कैलाश–मानसरोवर यात्रा मार्ग इत्यादि स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण स्थलों यथा हेमकुंड, नाकमत्ता, पीरान कलियर आदि भी पर्यटन मानचित्र का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

यह राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रुप में सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटन, पारम्परिक मेले, कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की दिशा में कृत संकल्प है। सांस्कृतिक धरोहर, नैसर्गिक सौन्दर्य एवं प्राकृतिक संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए तीर्थाटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पारिस्थिसिकीय (ईको) पर्यटन, हस्तशिल्प, शिल्पकारी साहसिक पर्यटन तथा शीतकालीन पर्यटन को विकसित किया जायेगा।

लक्ष्य समूह उन्मुख पर्यटन विकास, तथा महत्वपूर्ण किन्तु उन अल्प विकसित पर्यटक स्थल का विकास जो प्रकाश में नहीं आ सके, का विकास भी किया जायेगा। साथ ही प्रचार–प्रसार पर्यटन विपणन पर भी ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

हमारी पर्यटन नीति रोजगारपरक नीति है जिसमें मानव संसाधनों के अपेक्षित विकास का अवसर मिलेगा। पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में गाइड, पोर्टर, काष्ठकला, हाउसकीपिंग, वेटर आदि कार्यों के लिए बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता हर सम्भव सुनिश्चित की जायेगी ताकि पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके और अन्ततः राज्य के आर्थिक विकास में गति आये।

राज्य में पर्यटक ग्रामों की स्थापना/ विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिससे वहां की पारम्परिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर होने का अवसर मिल सकेगा।

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत जलक्रीड़ा, नौकायन आदि को बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि देश–विदेश के पर्यटक आकर्षित हों। गंगा नदी के तट पर ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।

पर्यटन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत नई इकाईयों को 5 वर्ष के लिए सुख साधन कर में रियायत दी जायेगी। वर्तमान इकाईयों में आरोपित सुख–साधन कर को भी सुविधाजनक एवं सरलीकृत किया जायेगा। नये रोप–वे तथा नये मनोरंजन पार्कों की स्थापना पर 5 वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट का प्रस्ताव है।

हमने बजट के माध्यम से भी पर्यटन विकास को नयी दिशायें देने का प्रयास किया है। अन्य योजनाओं के साथ–साथ पहले से चली आ रही पर्यटन ऋण–उपादान योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस उद्देश्य से किये गये है कि इस योजना के माध्यम से क्षेत्रीय उद्यमियों एवं जनता को पर्यटन विकास में सहभागिता करने तथा स्वरोजगार अर्जित करने के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत अब 2.5 लाख के स्थान पर 10 लाख तक की विभिन्न प्रकार की पर्यटन सम्बन्धी इकाइयों की स्थापना के लिये बैंक ऋण पर 20 प्रतिशत और अधिकतम 50 हजार के स्थान पर रुपया 2 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

अन्य योजनाओं के साथ–साथ इस वर्ष टिहरी बांध से उत्पन्न होने वाली झील के आधार पर पर्यटन विकास का मास्टर प्लान बनाने, औली शीतकालीन क्रीड़ा के अग्रेतर विकास, दयारा बुग्याल शीतकालीन क्रीड़ा केंद्र की स्थापना, मंसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट तथा पूर्ववर्ती उ.प्र. राज्य खनिज निगम की भूमि पर बृहद ईको– टूरिजम ईकाई की स्थापना जनपद पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर के विकास, नैनीताल

व पर्यटनोन्मुख परिवहन विकास एवं विनियमन आदि योजनाओं पर कार्यवाही की जाएगी। गत वर्षों में पर्यटन योजनाओं के लिये प्राप्त हो सकने वाली केंद्रीय योजनाओं का हम समुचित लाभ नहीं उठा पाये हैं। इस वर्ष हम ऐसी योजनाओ के लिये भी अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने के विशेष प्रयास करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में पर्यटन की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विभिन्न यात्रा मार्गों में सेवाओं का सुधार पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं का विकास, बस स्टेशन/ पार्किंग स्थलों का निर्माण इत्यादि योजनाएं सम्मिलित हैं।

औद्योगिक विकासः–

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में जो औद्योगिक नीति वर्ष 1998 में घोषित की गयी थी उसमें उत्तरांचल के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी थी और अलग नीति बनाये जाने की अवधारणा की गयी थी, फलस्वरुप उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुये कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये थे और औद्योगिक दृष्टिकोण से राज्य का

क्षेत्र पिछड़ता रहा है। प्रदेश में आर्थिक विकास एवं रोजगार अवसरों के सृजन के संदर्भ में राज्य में त्वरित गति से औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों के साथ हमारी सरकार द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया है और निकट भविष्य में राज्य के लिए औद्योगिक नीति घोषित कर दी जायेगी। इस बीच औद्योगिक इकाइयों के समक्ष राज्य के विभाजन के संदर्भ में आ रही कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा चुके हैं। उत्तरांचल की औद्योगिक नीति की तैयारी अन्तिम चरण में है और इसे यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा। हमारा ये प्रयास होगा कि उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों एवं यहां पर विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विशिष्ट औद्योगिक क्रियाओं यथा सूचना प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी एवं कृषि पर आधारित उद्योग, खादी, ग्रामीण, गृह (कोटैज) एवं लघु स्तर की इकाइयों के माध्यम से क्षेत्र की परंपरागत हस्त शिल्पियों एवं अन्य उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने, के साथ–साथ पारंपरिक ऊन उद्योग, विशिष्ट क्रियाओं के लिए विशिष्ट क्षेत्र यथा आई.टी. पार्क, एग्रो पार्क एवं अन्य

समेकित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। ग्रामीण एवं गृह (कोटैज) औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों में गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग एवं विपणन के लिए सामुदायिक सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए हमारे विशेष प्रयासों के फलस्वरुप केंद्र सरकार द्वारा सहायता दिये जाने का भी आश्वासन दिया गया है। राज्य में परम्परागत घराटों के तकनीकी सुधार एवं इनके आधार पर लघु इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार को घराटों को गृह (कोटेज) उद्योग घोषित किये जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

उत्तरांचल की मान्यता प्रापत औद्योगिक इकाईयों को उत्तर प्रदेश से कच्चा माल रियायती दर से क्रय करने की वहीं सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो उन्हें उत्तर प्रदेश में मिल रही थी अन्यथा उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद यह सुविधा स्वयं ही समाप्त हो गई थी। निजी उद्यमियों को सरकार पूरा–पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन देगी।

व्यापार कर प्रक्रिया का सरलीकरणः–

उत्तरांचल राज्य में व्यापार कर राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख श्रोत है। राज्य के विकास के लिये संसाधनों की

आवश्यकता होती है। संसाधनों को जुटाने के लिये व्यापार कर प्रक्रिया का सरलीकरण करके पारदर्शिता परिलक्षित करते हुये राजस्व की आय को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। व्यापार कर विभाग में कर प्रशासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करके कार्य दक्षता को बढ़ाने एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सर्वप्रथम विभाग के अभिलेखों एवं प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कराया जायेगा।

राज्य के सुदूर क्षेत्रों में व्यवसायरत छोटे करदाताओं की असुविधा को देखते हुये स्वतः कर निर्धारण प्रक्रिया का युक्तीकरण करके इस प्रकार सरलीकरण किया जायेगा कि करदाता को दुरुह एवं जटिल प्रक्रिया के स्थान पर सरल प्रक्रिया उपलब्ध करायी जा सके ताकि व्यवसायी का अनावश्यक धन एवं समय व्यय न हो।

उत्तरांचल राज्य में छोटे करदाताओं को कर पर विवाद की दशा में अपील करने पर सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की दशा में, अपील की फीस की दरों को भी घटाने का प्रस्ताव है।

प्रथम अपील की अधिकतम फीस 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है, द्वितीय अपील की

फीस को भी न्यूनतम 500 रुपये से घटाकर 200 रुपये तथा अधिकतम 10,000 रुपये से घटकार 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है। उत्तरांचल के व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से राज्य के बाहर से माल आयात करने वाले व्यापारियों को उपलब्ध कराये जाने वाले फार्म 31 का मूल्य 5 रुपये से घटाकर 3 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरांचल गठन के पूर्व उन उत्पादों पर जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में होती थी केंद्रीय बिक्री कर नहीं देना पड़ता था लेकिन उत्तरांचल गठन के पश्चात अब उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को की गई बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर देना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे उद्योगों को जिनकी अधिकांश बिक्री उत्तर प्रदेश को होती है, उत्तर प्रदेश में स्थित उद्योगों के सापेक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु ऐसे छोटे उद्योगों को चिन्हित करके चयनित उत्पादों की केंद्रीय बिक्री पर कर की दर कम करने पर विचार किया जायेगा।

आबकारी नीतिः–

उत्तरांचल राज्य में आबकारी वर्ष 2001–2002 के लिए आबकारी व्यवस्था के सुप्रबंधन हेतु व्यापक परिवर्तन किये गये हैं। नयी आबकारी नीति के अन्तर्गत राज्य में देशी

एवं विदेशी मदिरा के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व प्रचलित नीलामी विधि से न कराकर अभिकर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा क्षेत्रः–

मान्यवर,

देवभूमि उत्तरांचल प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही है। प्रदेश के निवासी शिक्षित होकर केवल प्रदेश व देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रदेश में साक्षरता का स्तर बढ़ाना एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और शिक्षा, के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 680 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षाः–

यह बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की जनगणना 2001 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर उत्तरांचल में साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में उत्तरांचल में कुल साक्षरता का प्रतिशत 72.28 पहुंच चुका है, जबकि वर्ष

91 में यह प्रतिशत में 57.75 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में पुरुष साक्षरता का स्तर 84.01 तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 60.26 प्रतिशत रहा है। साक्षरता में इस उल्लेखनीय वृद्धि को अब और बढ़ाया जाना है। वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत वाह्य सहायतित योजना, के लिए राज्यांश के रुप में 3.56 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षा के भवनों के निर्माण/ रख–रखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत भी प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने तथा प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने एवं सुचारु रुप से अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से 2000 विशिष्ट बी0टी0सी0 के अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही शिक्षा की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1000 शिक्षा मित्र एवं 2000 शिक्षा बंधुओं की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार लगभग 5000

बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार ने सार्थक पहल की है।

माध्यमिक शिक्षाः–

वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। जिसमें कम्प्यूटर का विशिष्ट महत्त्व है। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कम्प्यूटर शिक्षा योजना के अंतर्गत 6.60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों के लिए भी पूंजी पक्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। संस्कृत विद्यालयों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार विशेष ध्यान देगी। इन विद्यालयों के लिए लगभग 1.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

उच्च शिक्षाः–

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों आदि के लिए 4.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, संकायों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों को समृद्ध किये जाने हेतु भी लगभग 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पठन–पाठन की

सुचारु व्यवस्था हेतु अतिथि संकाय की व्यवस्था भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की गयी है।

तकनीकी शिक्षाः–

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता है। उत्तरांचल राज्य में रुड़की विश्वविद्यालय **रुड़की**, स्थित है जो कि एशिया का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी संस्थान है व देश का पहला इंजीनियरिंग कालेज है। इसी प्रकार पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, भी एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जी.बी.पन्त कालेज ऑफ इंजिनयरिंग एवं टैक्नोलौजी, घुड़दौड़ी पौड़ी एवं कुमायूँ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा स्थित है। प्रदेश में स्थित 16 पालीटैक्नीकों में से 14 संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए स्वरोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम (3–6 माह की अवधि) चलाये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षणार्थी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रोजगार प्राप्त कर सकें। महिलाओं की सहभागिता के दृष्टिगत उत्तरांचल राज्य में राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक देहरादून

तथा अल्मोड़ा में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त दो राजकीय होटल मैनजमैन्ट एवं कैटरिंग संस्थान हैं जिनमें डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। तकनीकी शिक्षा में क्षमता प्रसार, गुणात्मक सुधार एवं दक्षता सुधार के दृष्टिगत् कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के भवन निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

तकनीकी शिक्षाके क्षेत्र में यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय को आई.आई.टी. का दर्जा दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे देश में ख्याति प्राप्त इस संस्थान का और अधिक विकास हो सकेगा जिसका लाभ प्रदेश को भी प्राप्त होगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग कालेजों व बहुधंधी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अधिक संसाधन भविष्य में उपलब्ध कराये जा सकेंगे जिससे कि तकनीकी शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार एवं वृद्धि हो सकेगी।

संस्कृतिः–

प्रदेश में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, गोबिन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान, पुरातत्व अभिलेखागार सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि के लिए भी आय–व्ययक में समुचित व्यवस्था कराई जा रही है राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए भी 10 लाख रुपये की व्यवस्था नई मांगों के माध्यम से कराई जा रही है।

खेल–कूदः–

खेल–कूद तथा युवा कल्याण हेतु लगभग 12 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान कराया जा रहा है। देहरादून में स्पोर्टस काम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है तथा खेलों को प्रोत्साहन हेतु स्टेडियमों के निर्माण की भी व्यवस्था है।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्यः–

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये लगभग 180 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में स्थापित विभिन्न चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप–केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही है तथा इन

सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तथा बड़े चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत नेत्र, आर्थोपैडिक्स एवं ई.एन.टी. इकाईयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में लगभग 15 सौ उप–केंद्र हैं जिसमें अधिकांश केन्द्रों में अपने भवन नहीं हैं। इन उप–केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण प्रस्तावित है और इस वर्ष इसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के भवनों को पूर्ण किये जाने के लिए 3 करोड़ रुपये तथा नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए भी लगभग 1.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा राजकीय एलौपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु लगभग 5.9 करोड़ की व्यवस्था है। चिकित्सालयों में औषधि तथा रसायन के लिए भी लगभग 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से आवश्यक दवाएं जनता को उपलब्ध कराई जा सके।

विश्व बैंक सहायतित स्टेट हैल्थ डैवलेपमेंट परियोजना के अंतर्गत उत्तरांचल में पांच वर्षों के लिए कुल 72.163

करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों में सुधार, सुदृढ़ीकरण, उपकरणों का क्रय, तकनीकी क्षमता का विकास, चिकित्सा शिक्षा का प्रसार, एम्बुलेंस व कम्प्यूटरों का क्रय सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में इस योजना के अंतर्गत 5.40 करोड़ की व्यवस्था है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा:–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा। आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा के कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों के लिए 2.24 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु लगभग 2.1 करोड़ की व्यवस्था है। । चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में मेडिकल व डेंटल कालेजों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

समाज कल्याण:–

समाज के कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज के

असहाय, निराश्रित, सुविधाविहीन एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए समय–समय पर जो कल्याणकारी योजनाऐं लागू की गयी हैं उन्हें लागू रखा जाएगा और उनके लिए आय–व्ययक में समुचित व्यवस्था की जा रही है। अनुसूचित जातियों जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों आदि के कल्याण के लिए आय–व्ययक में लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण आदि की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 7.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास हेतु लगभग 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

अनुसूचित जातियों–जनजातियों के आश्रम विद्यालयों व छात्रावासों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रथम बार कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाने के लिए भी व्यवस्था की गयी है। पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग व्यक्तियों के लिए भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाली सहायता यथा छात्रवृति,पेंशन इत्यिाद के दुरुपयोग के प्रकरण भी प्रकाश में आए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र व्यक्ति ही इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, सभी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की व्यापक चेकिंग कराई जायेगी और यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि वास्तव में समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक सहायता पहुंचायी जा सके और इन सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर कारवाई की जायेगी।

महिला कल्याणः–

आदि काल से महिलाओं को महाशक्ति के रुप में स्वीकारा गया है तथा उत्तरांचल राज्य के सृजन में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। उत्तरांचल राज्य के संसाधनों में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका को दृष्टि में रखते हुये उनके सर्वांगीण विकास को सरकार ने महत्व दिया है। जहां पर नियमित शिक्षा तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गयी है वहीं पर वन पंचायतों में उनकी साझेदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए

वन पंचायत नियमावली में प्राविधान किया जा रहा है। उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, औद्योगिक, चाय उत्पादन, पशुपालन, पर्यटन आदि में स्वतः रोजगार की उपलब्धता में महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के स्वस्थ रहने के लिये चरणबद्ध तरीके से उपकेंद्र के भवनों का निर्माण तथा वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध रहने पर बल दिया गया है।

महिलाओं के प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति हेतु भी समुचित व्यवस्था की गयी है। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने, दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को पानी संग्रहण की असुविधा को दृष्टि में रखते हुये अनेक श्रोतों से धन की उपलब्धता सुनिश्चित कर समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जायेगी। निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु लगभग 7.28 करोड़ रुपये का प्राविधान है। महिलाओं को आर्थिक रुप से स्वाबलंबी बनाने में इस हेतु महिला डेरी

विकास योजना में लगभग 1.77 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

कृषि तथा बागवानी:–

उत्तरांचल में जहां कृषकों की सीढ़ीनुमा खेती अपने में विशिष्टता रही है वहीं मैदानी क्षेत्र कृषि उत्पादन तथा उन्नत किस्म के बीज हेतु प्रसिद्ध है। इसको और सुदृढ़ करने के लिए एवं विविधता लाने का पूरा प्रयास किया जायेगा। भरसार में औद्यानिकी को वाणिज्यक दिशा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है जो राज्य में वाणिज्यिक औद्यानिकी के क्षेत्र में युवकों को रोजगार प्रदान करेगा वहीं पूरे देश को विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उत्तरांचल की बेमौसमी सब्जियां आस–पास के प्रदेशों में भेजी जाती हैं अतः बेमौसमी सब्जियों, फूलों की खेती तथा फलों के भण्डारण एवं निर्यात पर विशेष बल दिया जायेगा।

उत्तरांचल प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय है तथा हमारी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, फिर भी कृषि कर्म व बागवानी प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था का मूल आधार है। इन क्षेत्रों में विविधता बढ़ाना तथा उत्पादकता बढ़ाना हमारी

नीति का मुख्य अंग होगा। उत्तरांचल का एक बड़ा भाग वनों से आच्छादित है तथा वनों, कृषि–कर्म, बागवानी व पशुपालन का समेकित विकास किया जाना परमावश्यक है। प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन के प्रयासों को सहायता एवं गति प्रदान करने के लिये केंद्र–पोषित योजना मैक्रोमोड में 15.55 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रचार–प्रसार, कृषि यंत्रों का वितरण, मृदा प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, सूक्ष्म तत्व एवं जैव प्रयोगशालाओं की स्थापना, वर्गीकरण एवं एगमार्क कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये सहायता योजना, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के कार्यक्रम, गन्ना उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, कृषि ऋण हेतु सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय जलागम योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का विकास आदि कार्यक्रम लिये गये हैं। कृषि निवेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निवेशों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिये प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है।

कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग के हानिकारक रसायनों से पर्यावरण दूषित होने से बचाने तथा इनके अवशेषों से जनस्वास्थ्य को होने वाली हानि से बचाने हेतु एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

प्रदेश सरकार ने सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये फास्फेटिक, पोटाशिक, जिंक सल्फेट तथा सूक्ष्म तत्वों को व्यापार कर से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

भूमि संरक्षण कार्यों को अधिक लाभदायी बनाने के लिये एवं चयनित जल समेट क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्यों को समन्वित रुप से संचालित करने के उद्देश्य से जलागम विकास पद्धति पर कराया जायेगा। डी.पी.ए.पी./ राष्ट्रीय जलागम विकास योजना/ बंजर भूमि विकास योजना तथा नदी घाटी योजना को समन्वित करते हुये उत्तरांचल के समस्त 1137 सूक्ष्य जलागमों के संतृप्तीकरण हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनायी जा रही है।

उद्यान कर्म के अन्दर सब्जी/ फल/ मसाला/ आलू और मसरुम बीजों के उत्पादन इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहतूत की

खेती तथा रेशम विकास के लिए भी प्राविधान किया जा रहा है। उपयुक्त क्षेत्रों को चयनित करके फल पट्टी का विकास किया जायेगा। बेमौसमी सब्जियों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में चाय के विकास की संभावनाएं विकसित करने हेतु 2 करोड़ 34 लाख का प्राविधान चाय विकास योजना के अन्तर्गत किया गया है।

हाई डैन्सटी प्लॉटेशन विधि द्वारा उद्यानों के विकास के लिए नई मांगों के माध्यम से 8 करोड़ 87 लाख रुपये की व्यवस्था है। फसल तैयार होने के बाद उसकी अवशीतलीकरण आदि (सी.ए.स्टोर/ प्रीकूलिंग रिकूलिंग) इकाईयों आदि की व्यवस्था के लिए भी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की सहायता के अन्तर्गत लगभग 18.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

भरसार में औद्यानिक महाविद्यालय की स्थापना के लिए जहां लगभग 14 करोड़ रुपया पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है वहीं इस वित्तीय वर्ष में भी 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार उत्तरांचल क्षेत्र में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण की गति–विधियों को

और प्रभावी ढंग से लागू करने का विशेष प्रयास किया जायेगा।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योगः–

उत्तरांचल का तराई क्षेत्र उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है तथा अन्य कृषि फसलों के अलावा उत्तरांचल क्षेत्र में गन्ने की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। प्रदेश में 10 चीनी मिलें हैं जिनकी पेराई क्षमता 34500 टन प्रतिदिन है। प्रदेश के लगभग 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है अतः गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के विकास पर भी प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

वर्ष 2001–2002 में चीनी मिलों के लिए 450 लाख कुन्तल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत पौधशाला अधिष्ठापन, बीज उपचार/ भूमि उपचार एवं पेड़ी प्रबन्धन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु लगभग 1.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। वाटर शेड डेवलैपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी जल प्लावित क्षेत्रों के लिए जल निकासी तथा मैक्रोमोड योजना में गन्ना विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

पशुपालन तथा दुग्ध विकासः—

उत्तरांचल क्षेत्र में पूर्व में वन क्षेत्र अधिक होने व चारे की प्रचुरता होने के कारण पर्याप्त मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता था परन्तु धीरे–धीरे पशुधन की नस्लों में गिरावट आने लगी और दुग्ध उत्पादन कम होता चला गया। उत्तरांचल राज्य में आर्थिक विकास व रोजगार के दृष्टिकोण से पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग द्वारा वर्तमान में पशु–नस्ल सुधार कार्यक्रम मैदानी भागों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार का कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है।

पूर्व में उत्तरांचल राज्य ऊन उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था तथा यहां से ऊन निर्यात भी होता था। ऊन उत्पादों से सम्बन्धित हमारे शिल्पी उच्च स्तर की गुणवत्ता के कालीन, थुलमा, चुटका इत्यादि उत्पादित करते थे जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे। इस क्षेत्र में उच्चस्तर की नस्लों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुदूरवर्ती पर्वतीय भागों में भेड़ विकास कार्यक्रम विभागीय मेढ़ा केन्द्रों तथा अंशदान पर उन्नतशील मेढ़े वितरित कर सम्पन्न कराया जा रहा है।

राज्य में चारा विकास उत्पादन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उन्नतशील चारा बीज वितरण कर चारा विकास कार्यक्रम प्रचारित किया जा रहा है।

वर्ष 2001–2002 में राज्य में केंद्रीय सहायता से एक बृहद उत्तरांचल कैटिल एण्ड बैफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम विकसित कर पूरे राज्य को आच्छादित करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष इस योजना में लगभग 13 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में कुक्कुट विकास की सम्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2001–2002 में 3.92 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

नस्ल सुधार कार्यक्रम के उपरान्त उन्नतशील पशुओं में विभिन्न प्रकार की प्रजनन विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसके निवारण हेतु वर्ष 2001–2002 में एक बाँझपन निवारण योजना, जिसमें लगभग 32 लाख रुपये व्यय होने के अनुमान है, प्रस्तावित की गयी है।

ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तरांचल सघन मिनी डेरी योजना के

अन्तर्गत 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। उत्तरांचल में डेरी फेडरेशन का गठन भी किया गया है।

मत्स्य विकास:–

उत्तरांचल में मत्स्य विकास हेतु जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में बृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यक्रमों हेतु नदियों के रुप में 2686 किमी, बृहद जलाशयों के रुप में 20075 हेक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रुप में 297 हेक्टेयर तथा ग्रामीण तालाब एवं पोखरों के रुप में 628 हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में लगभग 2 करोड़ 10 लाख की व्यवस्था की गयी है।

ग्राम्य विकास:–

भूमि हीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभान्वित करने

के लिए विभिन्न रोजगार योजनाएं भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना:–

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 72 करोड़ रुपये व्यय कर ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराये जायेंगे। इससे लगभग 90 लाख मानस दिवसों का सृजन हो सकेगा। राज्यांश के रुप में लगभग 18 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में की गयी है।

सुनिश्चित रोजगार योजना:–

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 33 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 50 लाख मानव दिवसों के सृजन का लक्ष्य है। राज्यांश के रुप में 8.34 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में प्रस्तावित है। इससे जहां एक ओर रोजगार उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर ग्राम का विकास भी होगा।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना:–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को सामर्थ्य प्रदान करने के निमित्त छोटे–छोटे उद्यमों की स्थापना करके

प्रत्येक सहायतित परिवार अथवा समूह को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2001–2002 में राज्यांश के रुप में 7.66 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था है जिससे लगभग 15000 लाभार्थी आच्छादित होंगे।

इन्दिरा आवास योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवासों के लिए वर्ष 2001–2002 में कुल 34 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है जिसमें से लगभग 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्यांश के रुप में रखे गये हैं जिससे लगभग 20000 लाभार्थी आच्छादित होंगे। क्रेडिट कम–सब्सिडी फार रुरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत आवास निर्माण सहायता के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्राविधान है जिससे लगभग 1000 व्यक्ति और लाभान्वित होगे।

ग्राम्य विकास विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए भी आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 6. 50 करोड़ तथा सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 7.5 करोड़ की व्यवस्था है।

विधायक निधिः– विधायक निधि की धनराशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपया की गयी है जिससे क्षेत्र विशेष की समस्याओं का स्थलीय निराकरण हो सकेगा।

सहकारिताः–

प्रदेश के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु 748 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों के माध्यम से कृषकों को नकद ऋण, उर्वरक, बीज, कृषि रक्षारसायन, कीटनाशक तथा कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृषि ऋण की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की 177 शाखायें संचालित हैं।

प्रदेश में जनसाधारण को दैनिक उपभोक्ता आवश्यकताओं की उचित दर पर पूर्ति सुनिश्चत करने हेतु 6 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार 8 जिला विकास सहकारी संघ, 32 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों, 108 प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार एवं 14 महिला उपभोक्ता सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

भेषज संघों द्वारा भेषजों के कृषिकरण, संग्रहण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है तथा जनपद हरिद्वार में

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सौजन्य से एकीकृत सहकारी विकास योजना चलायी जा रही है ।

विभाग की योजनाओं के सफल संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए लगभग 17.68 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण:–

पारिस्थिकी भिन्नताओं के कारण वन सम्पदा, जैव विविधता एवं जीव–जन्तुओं का यह संग्रहण क्षेत्र है तथा उनके लिए स्वर्ग के रुप में जाना जाता है। उत्तरांचल दुलर्भ वनस्पति प्रजातियों, जड़ी–बूटियों आदि की शरणस्थली है।

उत्तरांचल के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है जहां पर हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र से लेकर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की ऊंचाई के क्षेत्र में पायी जाने वाली वनस्पतियां विद्यमान हैं। इन वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में वन विभाग के व्यय हेतु लगभग 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

वनों की सुरक्षा के लिए वन, राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल गठित किये गये हैं जिससे वन अपराधों पर अंकुश लग सके।

उत्तरांचल के लिए एक पृथक वन विकास निगम की स्थापना दिनॉक 1 अप्रैल, 2001 से कर दी गयी है, जिसका कार्य केवल वन उपज के विदोहन एवं विपणन तक सीमित न रखकर इसके द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

उत्तरांचल में प्रत्येक गांव के समीप सिविल एवं सोयम भूमि की उपलब्धता के अनुसार **'अपना गांव अपना वन'** के सिद्धांत पर वन पंचायतों/ संयुक्त प्रबंधित वन क्षेत्रों की स्थापना की जायगी जिनका प्रबंधन स्थानीय वन पंचायतों अथवा ग्राम वन समिति के हाथों में होगा। प्रदेश में पहले से स्थापित तथा भविष्य में गठित होने वाली वन पंचायतों को अधिक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

राज्य में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया सफल बनाने की दिशा में वन पंचायत नियमावली, 1976 का संशोधन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वन पंचायतों को

पंचायत वनों के प्रबंधन तथा तत्संबंधी वित्तीय अधिकार देने की चेष्टा की जा रही है।

महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा करने का उचित अवसर प्रदान करने के लिये वन पंचायतों में इन वर्गों के लिये उचित आरक्षण का प्राविधान नियमावली में किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं को वित्तीय दृष्टिकोण से सतत् रुप से क्रियाशील बनाने हेतु कुल आय का अंशदान 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा रहा है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वन पंचायतों को सूक्ष्म योजना के माध्यम से चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की जायेगी। पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सुधार के लिए 50 लाख की व्यवस्था की गयी है। जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारी या जनता को जान–माल के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 60 लाख की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त वानिकी,

वन्य जीव, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए वित्त पोषण हेतु भारत सरकार, वाह्य एजेन्सियों तथा अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया जायेगा।

टिहरी बांध के जलसमेट क्षेत्र में वाटरशेड मैनेजमैंट के लिए टी.एच.डी.सी. की सहायता से 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उत्तरांचल के क्षेत्र में वन्य–जीव परिरक्षण की प्रोजेक्ट एलीफैंट, प्रोजेक्ट टाइगर आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

आपदा प्रबंधन एवं राहतः–

दैवीय आपदाओं के दृष्टिकोण से उत्तरांचल एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है। प्रभावी आपदा प्रबंधन की योजना बनाने हेतु प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में आपदा प्रबंधक केन्द्र स्थापित है जिसके अन्तर्गत आपदा होने पर राहत व्यवस्था की योजना बनाने के अतिरिक्त दैवीय आपदाओं से जान–माल की क्षति को कम किए जाने की योजनाएं बनाने का कार्य भी किया जा रहा है तथा आपदा राहत निधि हेतु 33.98 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

खाद्य एवं रसदः–

उत्तरांचल राज्य के गठन से ही मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की गयी जिसके कारण कृषकों को बाजार में भी धान का उचित मूल्य प्राप्त हुआ। हमारी सरकार द्वारा गेहूँ क्रय हेतु भी समुचित व्यवस्था की गयी है।

प्रशासनिक सुधारः–

विभिन्न सामान्य सेवा के विभाग यथा सचिवालय प्रशासन, राजस्व, पुलिस, निर्वाचन, वित्त एवं राजकोषीय सेवायें, आडिट, नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड इत्यादि के लिए सामान्यतः आयोजनेत्तर पक्ष में ही व्यवस्था होती है और इनके समक्ष अनुरक्षण इत्यादि में कम धनराशि उपलब्ध रहने की भी समस्या रहती है। यह प्रयास किया गया है कि सभी विभागों में कार्यालयों के रख–रखाव तथा कम्प्यूटरीकरण आदि के लिए समुचित व्यवस्था रहे।

विभिन्न विभागों में कार्य के मानकों का पुनर्रीक्षण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता लाने का भी हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है। सभी विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आंतरिक लेखा–परीक्षा (इन्टरनल आडिट) को प्रभावशाली बनाया जाएगा। कम्प्यूटर

नेटवर्क के द्वारा प्राप्तियों एवं संवितरणों का निरंतर अनुश्रवण किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण:–

सीमित संसाधनों के बावजूद हमारी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति जागरुक है। पूर्व में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण में अनेक असुविधाएं होती थी क्योंकि कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर नियमित वेतन तथा तत्सम्बन्धी भुगतानों के अतिरिक्त बजट न होने के कारण सेवानिवृत्त होने पर अवशेष अर्जित अवकाश के बदले नकदीकरण में विलम्ब होता था अतः अब पेंशन सम्बन्धी भुगतान के लेखा–शीर्षक के अधीन समुचित व्यवस्था कर दी गयी है, जिससे सेवानिवृत्ति के तिथि पर इस प्रकार का भुगतान संभव हो सके। सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर भविष्य–निधि में 3 वर्ष के अवशेष का औसत अथवा 30 हजार रुपया जो भी कम हो के भुगतान का प्राविधान था परन्तु समुचित बजट प्राविधान न होने के कारण इस प्रकार के भुगतान में विलम्ब होता था। उत्तरांचल के प्रथम बजट में वित्त विभाग के अनुदान के अधीन रुपया 6 करोड़ का प्राविधान किया गया

है जिसे सीधे वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित कोषागारों को आवंटित किया जायेगा तथा नियमानुसार दावा प्रस्तुत करने पर तत्काल भुगतान संभव होगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षक एवम शिक्षणेत्तर कर्मियों के पेंशन भुगतान की पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदान से वितरण की प्रक्रिया थी जिसमें पर्याप्त बजट न होने के कारण विलम्ब होता था। इस जटिल प्रक्रिया को समाप्त करते हुए अब अन्य राजकीय कर्मचारियों की भाँति कोषागार द्वारा प्रति माह सम्बन्धित बेसिक शिक्षा के शिक्षक एवम शिक्षणेत्तर कर्मियों के एकल बैंक खाते में पेंशन सम्बन्धी भुगतान की धनराशि जमा करायी जायेगी।

विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए कुछ उप–कोषागारों तथा समस्त कोषागारों को एकीकृत भुगतान एवम् लेखा कार्यालय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके प्रथम चरण में सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधी बिल बजाय आहरण–वितरण अधिकारी के सीधे कोषागार द्वारा कार्यालध्यक्ष से प्राप्त सूचना से तैयार किया जायेगा और नियत तिथि तक सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते/ उप–कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

वार्षिक योजना 2001–2002

उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रकरण अभी केंद्र सरकार के विचाराधीन है तथा वर्ष 2001–2002 के लिए वार्षिक योजना का आकार अभी केंद्रीय योजना आयोग द्वारा अन्तिम नहीं किया गया है, फिर भी अनन्तिम रुप से वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में आयोजगनागत पक्ष में 1429.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें केंद्र सहायतित तथा बाह्य सहायतित परियोजनायें सम्मिलित हैं। यह प्रयास किया गया है कि केंद्र सहायतित तथा केंद्र पुरोनिधानित व वाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक योजनाएं संचालित की जा सके।

प्रथम राज्य वित्त आयोग:–

मान्यवर, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण पंचायतों के संबंध में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संस्तुति करने हेतु प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक

उपायों के बारे में तथा राज्य सरकार की संचित निधि में से इन निकायों को सहायता अनुदान के रुप में संदेय राशियों को शामिल करने वाले सिद्धान्तों आदि के बारे में अपनी संस्तुतियॉ देगा। वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनिन्तम रुप से पूर्व की भांति पंचायतों व स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष 2001–2002 के बजट का वित्तीय विवरण

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियॉ

वर्ष 2001–2002 में 3244.71 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियॉ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में 2532.85 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों तथा 711.86 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियॉं सम्मिलित हैं।

वर्ष 2001–2002 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 1193.43 करोड़ रुपये है इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 303.07 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2001–2002 में कुल व्यय 4505.75 करोड़ रुपये अनुमानित है।

कुल व्यय में 3757.09 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 748.66 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा:–

समेकित निधि में 1429.50 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष में तथा 3076.25 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में 973.95 करोड़ रुपये आयोजनागत तथा 2783.14 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार 455.55 करोड़ रुपये आयोजनागत पूंजी लेखा तथा 293.11 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2001–2002 में घाटा 1261.03 करोड़ रुपये है।

लोक–लेखा से समायोजनः–

वर्ष 2001–2002 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेषः–

वर्ष 2001–2002 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा 1061.03 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। इस घाटे को भी व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर,

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया था, उत्तरांचल राज्य अपने प्रारम्भिक चरण में गंभीर वित्तीय असंतुलन की स्थिति में है और हमें कुशल प्रबंधन तथा सृजित क्षमताओं का समुचित दोहन करते हुए, कर तथा करेत्तर राजस्व में वृद्धि कर, प्रयोक्ता प्रभारों का युक्तिकरण कर त्वरित आर्थिक विकास की राह पर बढ़ना होगा। इसके लिए इस महान प्रदेशवासियों के सहयोग एवं सहभागिता की मैं आकांक्षा रखता हूँ। जिस प्रकार उत्तरांचल राज्य के सृजन के लिए व्यापक जनान्दोलन चलाया गया था उसी प्रकार

आर्थिक विकास के लिए भी कठोर परिश्रम एवं लगन की आवश्यकता होगी। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में हमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा।

मान्यवर,

नवगठित राज्य की वित्तीय स्थिति खुली पुस्तक की तरह सबके सामने है इस सब में राज्य की महान जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी समर्पित भाव से त्याग करना पडेगा। बहुत बार जन हित और राज्य हित में कई ऐसे कदम उठाने पडते हैं जो कि साधारणतया लोकप्रिय नहीं होते किन्तु सीमित विकल्पों के समक्ष हमें सुधारों के मार्ग पर कड़ा मन करके अपना सफर तय करके मंजिल पर पहुंचना होगा।

मेरा यह दृढ़ मत है कि अल्पावधि की सस्ती लोकप्रियता का मार्ग त्यागकर हमें एक ऐसे मार्ग को चुनना होगा जो इस राज्य को समृद्धि, खुशहाली और विकास का सुदृढ़ आधार प्रदान करे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश अविरल गति से जहां एक ओर प्रगति शिखर की ओर बढ़ता रहे, विकास के मार्ग अवरुद्ध न हों वहीं दूसरी

और समाज के निर्बल व पिछड़े वर्गों के हितों की पूरी सुरक्षा हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने उत्तरांचल राज्य का प्रथम आय–व्ययक प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया है। मंत्रि परिषद के सभी सदस्यों का भी मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं वित्त विभाग के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे बजट बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ।

उत्तरांचल सदा से दुनियां का प्रेरणा का केन्द्र रहा है। जब-जब भी प्राणी हताश और निराशाओं की झंझावातों से घिरा, तब-तब इस पावन धरती में पदार्पण कर उसने आशा की नई किरण को पाया है, तभी तो कहा है –

"अरूण यह मधुमय देश हमारा,
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को
मिलता एक सहारा।"

– वैसे भी हमारा चरित्र दुनियां के लिए आदर्श रहा है–

"एतद्देश प्रसूतस्य
सका सादग्र जन्मनः
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन
पृथिव्यां सर्व मानवः।"

अतः पूरी दुनियां के लोगों ने हमारे उज्ज्वल चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है और इसलिए मैं इस नवोदित प्रदेश जिसके सामने आर्थिक ही नहीं अपितु अनेक प्रकार की चुनौतियां खड़ी हैं, के पहले बजट को प्रस्तुत करने के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि –

"हम त्याग-समर्पण, दृढ़ निष्ठा से
अपना चमन सजा देंगे,
हम पहल करें तो सब मिलकर
'उत्तरांचल' स्वर्ग बना देंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त में,

मैं इस देवभूमि उत्तरांचल के त्वरित विकास एवं भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार करने की परिकल्पना के साथ वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक को उत्तरांचल की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ।

बैशाख 13, शक संवत् 1923

तदनुसार,

दिनॉकः 3 मई, 2001